



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18707

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-18899 वर्ष 2024

हकीमुद्दीन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिषेक मयंक, राजीव कुमार तिवारी, शशिकला मणि त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. श्री अभिषेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री अभिषेक मयंक, आवेदक के अधिवक्ता, श्री संजीव सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। पहले आदेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2021 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-27477 में पारित दिनांक 7.9.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।
4. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2020 के सत्र परीक्षण संख्या-1728 (राज्य बनाम विवेक कुमार @ विक्की और अन्य) में दायर किया गया है, जो 2020 के केस अपराध संख्या-775 से उत्पन्न होता है, धारा 302, 201, 120-बी भ०द०वि० और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना-खुर्जा नगर, ज़िला: बुलंदशहर के तहत उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
5. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 2.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 9.12.2025 को धारा 313 द०प्र०स० के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए मामला तय किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल बारह गवाहों से पूछताछ की गई है।

6. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

7. आवेदक के अधिवक्ता आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि को छोड़कर प्रस्तुत जमानत आवेदन पर दबाव डालने के लिए कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि वह 1.8.2020 से जेल में है, इस तथ्य के साथ कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इस तरह, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। प्रस्तुत जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)